

**एजीटी-2025 पैरामेडिकल ग्रुप सी के अंतर्गत OPTOMETRIST पद हेतु  
स्थानांतरण समिति की अनुशंसा।**

Name Of Cadre	Model Bapunagar Hospital	Naroda Hospital	Ankleshwar Hospital	Vapi Hospital
Optometrist	दो स्थानांतरण अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसका विवरण निचे दी गयी सारणी के अनुसार है।	कोई कर्मचारी तैनात नहीं है।	कोई कर्मचारी तैनात नहीं है।	कोई कर्मचारी तैनात नहीं है।

क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर से प्राप्त स्थानान्तरण अनुरोध का विवरण निम्नानुसार है :-

क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर से प्राप्त Optometrist सर्ग में एजीटी 2025 के तहत ईआरपी में स्थानान्तरण अनुरोध का सत्यापन एवं अग्रगण्य रिपोर्ट				
क.स.	कर्मचारी का नाम	स्थानान्तरण निवेदन संख्या	वर्तमान तैनाती स्थान	अस्पताल/संस्थान का नाम जिसके लिए आवेदन किया
1	Mrs. Angela Macwan	TRS0000041976	ESIC MH Bapunagar	ESIC Hospital -Naroda
2	Mrs. Urvi Bhavin Mehta	TRS0000041977	ESIC MH Bapunagar	ESIC Hospital - Naroda

**स्थानान्तरण अनुरोध की जाच करते समय स्थानान्तरण समिति द्वारा विचार किये गए बिन्दुओं का विवरण:-**

चिकित्सा प्रशासन शाखा के कार्यालय आदेश 10/2025 दिनांक 04.06.2025 के अनुसार श्रीमती एंजेला मेकवान को ऑप्टोमेट्रिस्ट से सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट पद पर पदोन्नत किया गया था। तथा कार्मिक द्वारा सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट पद पर दिनांक 06.06.2025 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में श्रीमती एंजेला मेकवान द्वारा AGT 2025 हेतु किये गए स्थानान्तरण अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।

यह पद सेंसिटिव नहीं है। अतः इस पद पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी को एक ही चिकित्सा संस्थान में तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से स्थानांतरण करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती उर्वी भाविन मेहता को दिनांक 28.12.2024 की स्थानांतरण नीति C. No.: 779649 File No.: Z-11 /11/1/Misc/2021-Med.VIPart(3) के पैरा 4d के अंतर्गत कट ऑफ दिनांक 01.04.2024 को कर्मचारी बीमा निगम आदर्श अस्पताल बापूनगर में 8 साल 4 महीने और 16 दिन होते हैं, इसलिए वह उपरोक्त पालिसी के अंतर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण (Mandatory Transfer) में शामिल नहीं होते हैं।

श्रीमती उर्वी भाविन मेहता के निवेदन के सामने किसी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट पद के कर्मचारी का बापूनगर अस्पताल में स्थानान्तरण के लिए निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बापूनगर अस्पताल आईपीडी एवं ओपीडी की दृष्टि से बहुत बड़ा अस्पताल है, अतः बिना प्रतिस्थापन श्रीमती उर्वी भाविन मेहता का स्थानान्तरण किया गया तो आई पी को परेशानी हो सकती है। अतः वर्तमान स्थानान्तरण पालिसी



के सिध्दात- पारा 2, बिन्दु a, b, d एवं e के तहत इस आवेदन के आधार पर स्थानांतरण करना योग्य नहीं है


दिनांक 28.12.2024 की स्थानांतरण नीति C. No.: 779649 File No.: Z-11 /11/1/Misc/2021-Med.VIPart(3) के अनुसार किसी भी कर्मचारी के एक ही संस्थान में दस साल पूर्ण नहीं होते हैं, अतः कोई भी कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण (Mandatory Transfer) के अंतर्गत नहीं आता है

ट्रांसफर पोलिसी 2024 के पारा 7a. बिन्दु e अनुसार कुल कर्मचारियों के मात्र 10 प्रतिशत कर्मचारियों की ही ट्रांसफर करनी है। जब की कुल कर्मचारी संख्या केवल 154 है। अतः यह स्थानान्तरण में एक रिक्ति का उपयोग करना ठीक नहीं है।

AGT-2025 के अंतर्गत OPTOMETRIST पद में किसी भी कर्मचारी की स्थानांतरण की अनुशंसा नहीं की जाती है।

Digitally signed by  
AKHILESH JAIN  
Date: 09-07-2025  
14:05:14  
(Dr. Akhilesh Jain)  
(Chairperson)

Digitally signed by  
Paresh Jadavbhai Acharya  
Date: 11-07-2025  
18:07:55  
(Dr. Paresh Acharya)  
(Member)

  
18/7/25  
(Smt. Chandrika Kotval)  
(Member)